Transfer Policy of Nationalised and Private Sector Banks

209. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to State:

(a) the details of the transfer policy of the nationalised and private sector banks followed in respect of low-paid employees, like clerks etc. and is that policy being followed uniformly by all the banks;

(b) whether there is any provision in the policy to relax the transfer policy in respect of those whose spouse work in Government of India offices and such offices do not have their offices outside Delhi; and

(c) if not, the reasons therefor and the effect of such a policy on those families?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): The transfer policy in public/private sector banks is decided by their respective managements depending upon their requirements, branch spread etc. Transfers of clerical and subordinate staff in the public sector banks are effected in accordance with para 536 of the Sastry Award which provides that, in general, the policy should be to limit the transfers to the minimum, consistent with banking needs and efficiency. This category of employees should not ordinarily be transferred beyond the language area. In all cases the number of transfers to which a workman is subjected should be strictly limited and normally it should not be more than once a year.

(b) and (c) Although there is no separate policy for transfer of bank employees whose spouses are working in Government Offices, the public sector banks endeavour to accommodate, to the extent possible, such requests keeping in view administrative convenience and availability of substitutes etc.

विदेशी वित्तीय सहायता

210. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विदेशी वित्तीय सहायता का इष्टम उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो सभी विदेशी स्रोतों से वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त तक वित्तीय सहायता के रूप में देश में कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) उपरोक्त वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष उस महीने के अन्त में प्राप्त की गयी उक्त विदेशी सहायता की धनराशि में से कितनी धनराशि अनप्रयुक्त पड़ी है; और

(घ) प्रत्येक वर्ष में अनप्रयुक्त धनराशियों का कितना प्रतिशत विद्युत, सिंचाई, सड़क निर्माण, रेलवे, कोयला, इस्पात और औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया था।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान विदेशी स्रोतों से प्राप्त और उपयोग में लाई गई वित्तीय सहायता (ऋण और अनुदान) विवरण I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) परियोजना से संबंद्ध विदेशी सहायता उपयोगिता के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई है। उस रूप में प्राप्त की गई कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं रह गई है। हालांकि इन क्षेत्रों में कुल असंवितरित विदेशी सहायता निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1. शक्ति	33956	18731	16035
2. सिंचाई	3871	2163	1459
3. सड़कें	2409	2224	2527
4. रेलवे	2422	1875	1023
5. कोयला	655	264	184
6. उद्योग (स्टील और औद्योगिक अनुसंधान भी शामिल है)	2946	1960	1422

विवरण-I

1992-93 से 1994-95 तक ऋणों की स्रोत-वार उपयोगिता दर्शाता विवरण (सरकारी और गैर-सरकारी)

(मुद्रा की वर्तमान दर पर करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	देश का नाम/संस्था	1992-93	1993-94	1994-95
सरकारी बहुपक्षीय				
1.	ए०डी०बी०	748.99	404.89	1000.98
2.	आईबीआरडी	1973.53	2826.47	1745.30
3.	आई०डी०ए०	3407.30	2082.92	3149.88
4.	आई०एफ०ए०डी०	8.27	11.16	27.33
5.	ओ०पी०ई०सी०	10.15	5.29	1.96
	कुल (बहुपक्षीय)	6148.24	5330.73	5925.45
द्विपक्षीय				
6.	आस्ट्रेलिया	2.91	6.62	15.94
7.	आस्ट्रीया	13.67	17.33	0.00
8.	बेल्जियम	11.42	0.00	4.11
9.	कनाडा	0.00	0.00	0.00
10.	चैक और स्लोवाकिया गणराज्य	0.00	0.00	0.00
11.	डेनमार्क	0.64	0.00	0.00
12.	फ्रांस	350.82	131.83	48.59
13.	जर्मनी	823.08	452.86	357.51
14.	आई०एस०ओ०	0.00	0.00	0.00
15.	इटली	10.80	0.01	0.00
16.	जापान	1327.46	3192.70	2126.84
17.	कुवैत फण्ड	5.59	8.77	3.92
18.	नीदरलैंड्स	13.24	0.00	0.00
19.	साऊदी फंड	2.25	5.21	1.31
20.	स्पेन	0.00	0.00	0.00
21.	स्वीडन	66.35	63.39	99.99
22.	स्विटजरलैंड	45.75	21.14	30.13
23.	यू०एस०ए०	68.46	0.00	0.00
24.	रूसी संघ	34.75	0.69	0.00
25.	यूनाइटेड किंगडम	0.00	0.00	0.00
	कुल (द्विपक्षीय)	2847.19	3899.17	2688.34
	कुल (बहु+द्विपक्षीय)	8995.43	9229.90	8613.79

क्रम सं०	देश का नाम/संस्था	1992-93	1993-94	1994-95
गैर सरकारी				
1.	आई०बी०आर०डी०	608.54	1195.31	607.75
2.	ए०डी०बी०	302.77	202.40	580.81
3.	जर्मनी	192.14	224.26	126.21
4.	फ्रांस	3.31	43.54	24.07
	कुल:	1106.76	1665.51	1338.84

विवरण-II

विदेशी सहायता

1992-93 से 1994-95 के दौरान अनुदानों का उपयोग

(करोड़ रुपये)

देश / संस्था	1992-93	1993-94	1994-95
कनाडा	25.86	20.17	3.38
डेनमार्क	24.49	37.92	40.90
जर्मनी	8.40	0.02	87.19
जापान	39.85	162.58	84.02
नीदरलैंड	252.67	137.20	132.44
स्वीडन	46.76	86.60	103.61
स्विटज़रलैंड	71.30	60.99	35.71
यू०के०	309.79	220.98	211.89
यू०एस०ए०	8.57	17.29	35.25
नार्वे	20.97	9.87	10.90
फ्रांस	0.74	5.99	2.69
जापानी अनुदान (प० बंगाल)	1.28	0.00	1.85
स्विस अनुदान (प० बंगाल)	0.00	0.58	1.85
यू०एन०एफ०पी०ए०	16.78	25.28	17.12
यूनिसेफ	16.61	7.86	18.42
आई० एल० ओ०	1.18	0.37	0.00
आई० डी० एफ० (आईबीआरडी)	0.00	0.62	0.48
विश्व बैंक	0.00	0.00	13.14
ई०ई०सी०	42.36	91.30	115.50
कुल :	879.62	885.62	916.04